बजट 2004-2005 की मुख्य विशेषतायें

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम

आर्थिक उद्देश्य

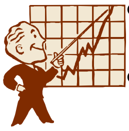

- निरंतर अवधि के लिए प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर;
- गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सार्वभौमिक उपलब्धता;
- कृषि, विनिर्माण एवं सेवाओं में लाभकारी रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना;
- प्रत्येक परिवार में आजीविका कमाने वाले को न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार;
- कृषि एवं आधारभूत सुविधाओं पर जोर देना;
- राजकोषीय सुदृढ़ता एवं सुधारों में तेजी लाना; और
- उच्चतर और अधिक कारगर राजकोषीय सुपुर्दगी ।

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन तथा वृहद आर्थिक पृष्ठभूमि

- 2008-09 तक राजस्व घाटा समाप्त करना ।
- कृषि में अधिक उत्पादन एवं मूल्यवर्धन द्वारा वृद्धि को बनाये रखना, औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार और सेवा क्षेत्रक के कार्य निष्पादन में निरंतर तेजी ।
- स्थायित्व एवं समानता के साथ तीव्र विकास लाने के एन.सी.एम.पी, के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 5 वर्षीय रोड-मैप ।

गरीबी और बेरोजगारी

- योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस) हेतु 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान; काम के बदले अनाज, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न पका भोजन स्कीम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख, रेलवे आधुनिकीकरण और सुरक्षा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेयजल, कृषि में निवेश, सड़कों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता।

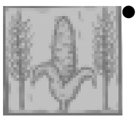

- ***अंत्योदय अन्न योजनाः*** 1.5 करोड़ से दायरा बढ़कर 2 करोड़ परिवारों को शामिल करना; खाद्य सब्सिडी के लिए आबंटन में शामिल 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना।

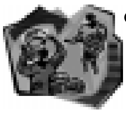

- ***काम के बदले अनाज कार्यक्रमः*** प्रत्येक गरीब परिवार में एक स्वस्थ व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर कार्य शुरु; सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में एक नया काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरु किया जाएगा;
- अनुसूचित जातियों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 1180 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों के लिए 1146 करोड़ रुपए का आबंटन;
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के लिए 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन।

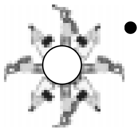

- 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान 5.85 लाख स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.)की "क्रेडिट लिंकिंग" के संकेतात्मक लक्ष्य।

महत्वपूर्ण क्षेत्र

- तीन वर्ष में कृषि ऋण दुगुना करना, सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में निवेश;
- फार्म बीमा और पशु बीमा-सुविधा प्रदान करना;
- कृषि उत्पाद बाजारों का सुधार और कृषि-कारोबार को बढ़ावा देना;
- सभी के लिए पेय-जल;
- जल संचयन, जल संभरण विकास और लघु सिंचाई एवं छोटी सिंचाई स्कीमों का विस्तार;
- नये रोजगार सृजन के लिए उद्योग में सरकारी और निजी, घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाना;
- लघु उद्योग के फलीभूत होने एवं विकास के लिए स्थान बनाना;
- सभी के लिए बिजली;
- दूर संचार सुविधाओं की सभी को उपलब्धता;
- गरीबों के लिए अधिक आवास;
- स्वास्थ्य बीमा के द्वारा चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता और;
- बचतों को प्रोत्साहित करना और वरिष्ठ नागरिकों की बचतों को संरक्षण ।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- संघीय करों और शुल्कों पर 2 प्रतिशत के उपकर से पूरे वर्ष में लगभग 4000-5000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जिन्हें पके हुए मध्याहन भोजन सहित शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- अगले 5 वर्षों में 500 आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु कार्यक्रम चलाया जाएगा।

website: http://indiabudget.nic.in

- छात्र की ओर से संतोषजनक गारंटी प्राप्त होने पर 7.5 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋणों के लिए संपार्श्विक गारंटी में छूट देना।

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम को पुनः तैयार करना और इसे पूर्णतया गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए बनाना; लाभों में किसी कटौती के बिना संशोधित प्रीमियम व्यक्तियों के लिए 165 रुपए, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 248 रुपए और सात सदस्यीय परिवार के लिए 330 रुपए; प्रीमियम सब्सिडी एक वर्ष में 40 करोड़ रुपए होगी, बीमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख हो जाएगी ।

- स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) और अन्य क्रेडिट लिंक्ड समूहों (सी.एल.जी.) के सदस्यों के लिए सरकारी क्षेत्रक की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से एक नई सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करना; प्रति व्यक्ति प्रीमियम 120 रुपए होगा और बीमा कवर 10,000 रुपए की धनराशि का होगा।

- एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 259 करोड़ रुपए का आबंटन।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

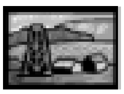

- ***ऋणः*** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) जो एक नया प्रशासन स्टैण्डर्ड अपनाते है और जो विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करते हैं, पुनर्संरचना के लिए सरकार से निधियां प्राप्त करने के पात्र होंगे; सहकारिता बैंकिग प्रणाली में सुधारों पर एक कार्य-बल की नियुक्ति की जाएगी जिसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2004 तक मिल जाएगी।

- ***सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचनाः*** त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत उन परियोजनाओं को, जो अपने अंतिम चरण में हैं, प्राथमिकता दी जाएगी। 2004-05 में 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान; ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए संशोधित मार्गनिर्देशों के साथ 2004-05 के दौरान 8000 करोड़ रुपए की मूल निधि प्रदान की जाएगी।

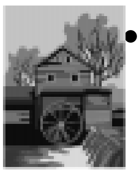

- ***जल निकायों की पुनःस्थापनाः*** प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े सभी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनःस्थापन संबंधी योजना आरम्भ की जाएगी; प्रायोगिक परियोजनाएं पांच जिलों में आरम्भ की जाएगी; राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परियोजना आरम्भ की जाएगी।

- ***जल संचयनः*** राष्ट्रव्यापी जल संचयन योजना आरम्भ की जाएगी; इसके अंतर्गत एक लाख सिंचाई एकक शामिल किए जाएंगे तथा प्रत्येक एकक की औसत लागत 20,000 रुपए होगी; नाबार्ड द्वारा बिना किसी मार्जिन राशि के आसान शर्तों पर ऋण; नाबार्ड के माध्यम से 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

- ***बाढ़ नियंत्रणः*** चालू वर्ष में 30 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

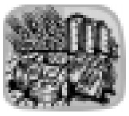

- ***विविधिकरणः*** राष्ट्रीय बागवानी अभियान आरम्भ किया जाएगा जिससे 2011-12 तक बागवानी उत्पादन को दोगुना किया जा सके; राज्यों को आनन्द मॉडल का अनुकरण करने तथा बागवानी के विकास के लिए राज्य स्तरीय सहकारी समिति की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा; सरकार उच्च बीज प्रौद्योगिकी का विकास करके तथा मूल्य समर्थन की उपयुक्त नीति के माध्यम से तिलहनों के विविधिकरण हेतु किसानों की सहायता करेगी; भारत को सभी उत्पादों, विशेषकर कृषि उत्पाद, के लिए एकल बाजार बनाने हेतु राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे माडल कानून अधिनियमित करें ।

- ***अनुसंधान और विकासः*** बजट अनुमान 2003-04 के 775 करोड़ रुपए की तुलना में 2004-05 में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन ।

- ***कृषि व्यापारः*** लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के प्रशासन को बेहतर बनाने, जिसमें मुख्य कार्यकारी के रूप में किसी बैंकर की नियुक्ति किया जाना भी शामिल है, के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है; एसएफएसी को आवश्यक अतिरिक्त पूंजी प्रदान की जाएगी।

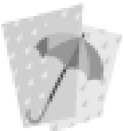

- ***जोखिम उपशमनः*** फसल का बीमा करने वाली राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो उपज का बीमा करती है, को पुनःअभिकल्पित किया जा रहा है; रबी 2003-04 के दौरान 19 जिलों में आरम्भ की गई फसल संबंधी आय का बीमा करने वाली प्रायोगिक योजना को खरीफ 2004 तक के लिए बढ़ाया गया; कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा परीक्षण आधार पर 20 वर्षा-मापी केन्द्रों में मौसम बीमा योजना को आरम्भ किया जा रहा है।

अवसंरचना

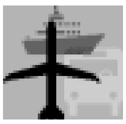

- आई डी बी आई, आई डी एफ सी, आई सी आई सी आई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अंतर-संस्थागत समूह गठित किया गया है जिससे ऋण संबंधी करारों को शीघ्र पूरा करके अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

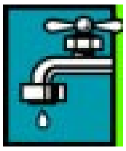

- पेयजल संबंधी सभी योजनाओं को राजीव गांधी पेयजल मिशन में शामिल किया जाएगा; चालू वर्ष के दौरान, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 2610 करोड़ रुपए का आवंटन, कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि वितरित की जाएगी; चालू वर्ष में शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 151.25 करोड़ रुपए का प्रावधान; चेन्नई के निकट पहले बड़े विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना की जाएगी तथा सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से कोरोमंडल तट के किनारे ऐसे और संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

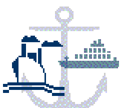

- ***सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजनाः*** पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन पूरा कर लिया गया है; तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है; धनराशि जुटाने कि लिए विशेष प्रयोजन साधन (एस पी वी) आरम्भ किए जाएंगे; इक्विटी सहायता तथा ऋण गारंटी के माध्यम से सरकार की भागीदारी।

- कोची पत्तन के वल्लारपदम स्थान पर बीओटी आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।

- ***ग्रामीण आवासः*** इंदिरा आवास योजना के लिए आवंटन 537 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 2247 करोड़ रुपए किया गया; स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक ने पुनर्वित्त की दर को 25 आधार अंकों से घटाने की पेशकश की है; भारतीय रिजर्व बैंक, बैंको द्वारा दिए जाने वाले ग्रामीण आवास ऋणों की वापसी के मानदंडों में संशोधन के लिए सहमत हो गया है ताकि किश्तों का निर्धारण फसल चक्र के अनुसार किया जा सके; प्रतिवर्ष 250,000 ग्रामीण आवासीय एककों का लक्ष्य ।

उद्योग

- एक निवेश आयोग की स्थापना की जाएगी।
- एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद का गठन किया जाएगा।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रीय सीमा दूरसंचार में 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत; नागर विमानन में 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत तथा बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत की जाएगी।

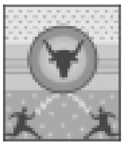

- ***पूंजी बाजार :*** विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) के लिए पंजीकरण तथा प्रचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाया जाएगा; ऋण निधियों में एफ आई आई की निवेश सीमा को 1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ा कर 1.75 बिलियन अमरीकी डालर किया जाएगा; अधिक जोखिम प्रबंध प्रणाली वाले बैंकों को पूंजी बाजार में अधिक विस्तार के साथ उद्‌भासन की अनुमति दी जाएगी; लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए एक वैकल्पिक व्यापारिक मंच की रचना की जाएगी जिससे पूंजी बाजार से इक्विटी और ऋण जुटाए जा सके; वस्तु बाजारों तथा प्रतिभूति बाजारों के एकीकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- ***सार्वजनिक क्षेत्रः*** केन्द्र सरकार के उपक्रमों (जिनमें रेलवे शामिल है) को 2004-05 में 14,194 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता तथा 2132 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए जाएंगे; सरकारी क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की जाएगी; हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. के पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता; इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के लिए 508 करोड़ रुपए।

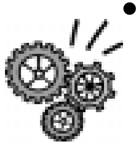

- ***लघु उद्योगः*** आरक्षित सूची में से 85 मदों को हटाया जाएगा; पूंजी सब्सिडी योजना के अंतर्गत ऋणों की सीमा को 40 लाख रुपए से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा; सब्सिडी की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया जाएगा; और अधिक उप क्षेत्रों तथा प्रोद्योगिकियों को सहायता का पात्र बनाया जाएगा; "लघु उद्योग योजनाओं के संवर्धन" के लिए 135.24 करोड़ रुपए के प्रावधान में से सब्सिडी को पूरा किया जाएगा।

- ***पारम्परिक उद्योगों का पुनरुद्धारः*** 100 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक आवंटन के साथ पारम्परिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की स्थापना की जाएगी।

अन्य प्रस्ताव

- ***वैटः*** 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति; राजस्व की हानि, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए फार्मूला तैयार किया जाएगा।
- ***पेंशन सुधारः*** 1 जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद भर्ती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए "परिभाषित अंशदान" पेंशन योजना हेतु विनियामक ढांचे की व्यवस्था करने के लिए विधान संसद में पेश किया जाएगा।
- ***निर्यात संवर्धनः*** विशेष आर्थिक जोनों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा।
- ***प्रतिभूतिकरण अधिनियमः*** वित्तीय परिसम्पत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के संगत उपबंधों में संशोधन किया जाएगा ताकि उधारकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार के बारे में उच्चतम न्यायालय की चिन्ता दूर की जा सके और साथ ही वसूली प्रक्रिया विलम्बित या बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जा सके।

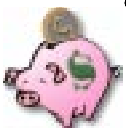

- ***ब्याज दरें:*** लघु बचत प्रपत्रों पर ब्याज की मौजूदा दरों में कोई परिवर्तन नहीं। "वरिष्ठ नागरिक बचत योजना" नामक एक नई योजना की शुरूआत जिसमें 9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर दी जाएगी।
- ***सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारः*** उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य वितरित करने के स्थान पर खाद्य स्टैम्पों के वितरण के लिए एक प्रायोगिक योजना दो या तीन परस्पर सटे जिलों में शुरू की जाएगी ।
- ***लिंग बजटीय व्यवस्थाः*** "सरकारी लेनदेनों की वर्गीकरण प्रणाली" के संबध में विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और यदि सम्भव हुआ तो 2005-06 के बजट से कार्यान्वित की जाएगी ।
- ***सब्सिडीः*** सब्सिडियों को गरीब और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक लक्षित करने हेतु एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा ।

- ***राज्यों की वित्तीय व्यवस्थाः*** केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा बजट अनुमान 2003-04 में 63,758 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 82,227 करोड़ रुपए किया जाना; 1 अप्रैल 2004 से केन्द्र सरकार के ऋणों पर ब्याज की दर 10.5 प्रतिशत से घटा कर 9 प्रतिशत करना; राज्यों को नए ऋण जुटाने तथा नाबार्ड और कुछ अन्य एजेन्सियों को उनके पुराने उच्च लागत के

ऋणों की वापसी अदायगी करने की अनुमति दी जाएगी; राज्यों के साथ उनके खुले बाजार के उधारों को बढ़ाने और केन्द्र सरकार से ऋणों पर उनकी निर्भरता घटाने की अनुमति देने के संबध में परामर्श किया जाएगा; परस्पर-मुद्रा-आधारित विदेशी ऋणों को देने पर विचार किया जाएगा।

- ***विशेष आर्थिक पैकेजः*** बिहार को राष्ट्रीय सम विकास योजना के माध्यम से सहायता दी जाएगी; इस समय 3225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

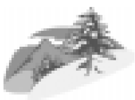

- ***पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर):*** सभी मंत्रालयों और विभागों को उनके आयोजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए खर्च करना है (5823 करोड़ रुपए), खर्च न की गई शेष राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अव्यपगत पूल को अन्तरित किया जाता है; क्षेत्र में विशिष्ट परियोजनाओं और स्कीमों के लिए संसाधनों के केन्द्रीय पूल से 2003-04 में 550 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
- ***जम्मू व कश्मीरः*** उचित योजना आकार के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी; बागलिहार परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी; जम्मू व कश्मीर बैंक में वर्तमान ओवर ड्राफ्ट व्यवस्था से भारतीय रिजर्व बैंक की अर्थोपाय योजना में आसान परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु 300 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे,
- ***पिछड़ा राज्य आयोगः*** पांच वर्ष की अवधि में उपलब्ध कराई जाने वाली 25,000 करोड़ रुपए की आरम्भिक निधि के साथ एक पिछड़े राज्य अनुदान निधि की स्थापना की जानी है; 2005-06 से प्रचालन में आएगी।
- ***रक्षा आधुनिकीकरणः*** पूंजी व्यय के लिए 33,483 करोड़ रुपए सहित 77,000 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आवंटन (बजट अनुमान 2003-04 में 65,300 करोड़ रुपए की तुलना में)।

कर सुधार

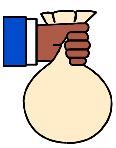

प्रत्यक्ष कर

- 100,000 रुपए की कर योग्य आय वाले किसी व्यक्ति को आयकर चुकाने की आवश्यकता नही होगी।
- सैन्य कार्रवाइयों के दौरान मारे गए सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों की विधवाओं, बच्चों और नामित उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन को आय कर से मुक्त रखा जाएगा।
- स्वलीन (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्कीय अंगघात तथा बहुमुखी अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों को धारा 80घघ तथा धारा 80प का लाभ प्रदान किया जाएगा।

- कतिपय शहरी समूहों में स्थित कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे पर, उन मामलों में जहां मुआवजा या बढ़ा हुआ मुआवजा 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद प्राप्त हुआ है, पूंजी अनुलाभ करों से छूट प्राप्त होगी।

- केन्द्रीय सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए "परिभाषित अंशदान" पेंशन योजना के लिए ईईटी अपनाया जाएगा।

- अनिवासी (बाह्य) खाते से अर्जित ब्याज तथा विदेशी मुद्रा में जमाराशियों पर बैंकों द्वारा अनिवासी अथवा साधारणतया जो निवासी नहीं है, को अदा किया गया ब्याज तथा किसी विदेशी राज्य अथवा विदेशी उद्यम से हवाई जहाज अथवा उसका इंजन लीज पर प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा की गई अदायगी पर कर से छूट 1 सितम्बर 2004 के पश्चात समाप्त हो जाएगी।

- गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त होने वाले 25,000 रुपए से अधिक कीमत वाले उपहारों को आय मानकर उन पर कर लगाया जाएगा; रक्त संबधियों, पूर्वजों एवं वंशजों से विवाह जैसे कतिपय अवसरों पर प्राप्त उपहार पूर्णतः कर मुक्त बने रहेंगें।

- फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, रख-रखाव तथा पैकैजिंग हेतु स्थापित नए एग्रो-प्रसंस्करण उद्योगों के सम्बन्ध में 5 वर्षों की अवधि हेतु 100 प्रतिशत लाभ की छूट तथा आगामी 5 वर्षों हेतु 25 प्रतिशत लाभ की छूट दी जाएगी।

- किसी मौजूदा उपक्रम द्वारा अधिग्रहित अथवा संस्थापित नए संयंत्र तथा मशीनरी पर 15 प्रतिशत की अतिरिक्त मूल्य ह्रास की अनुमति जारी रखना, संस्थापित क्षमता में अपेक्षित वृद्धि अब 25 प्रतिशत के बजाए 10 प्रतिशत होगी।

- ऑटोमोबाइल उद्योग को ऐसे उद्योग के रूप में अधिसूचित करना जो विभागीय अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं पर होने वाले व्यय का 150 प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

- 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2006 के दौरान हाथ में ली गयी विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में धारा 80 झक के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का विस्तार किया जाएगा।

- टन भारकर लगाने संबंधी नौवहन उद्योग के अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा।

- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 या उससे अधिक बिस्तरों वाले नए अस्पतालों को धारा 80झख का लाभ प्रदान किया जाएगा; ऐसे अस्पताल पांच वर्ष की अवधि के लिए उनके लाभ पर शत प्रतिशत कटौती के हकदार होंगे।

- धारा 80झख के अंतर्गत आवास उद्योग को मिलने वाले लाभ 31 मार्च, 2005 से पहले स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में लागू-समय सीमा को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाया जाएगा।

- प्रतिभूतियों के लेनदेन से दीर्घावधिक पूंजी अनुलाभों पर कर समाप्त; इसके स्थान पर स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों के लेनदेन पर कर क्रेता पर प्रतिभूति के मूल्य के 0.15 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा; प्रतिभूतियों से अल्पावधि पूंजी अनुलाभों पर कर की दर 10 प्रतिशत की समान दर तक घटाई जानी है।
- इक्विटी-उन्मुख म्युचुअल निधियों को लाभांशों पर कर से छूट जारी; ऋण उन्मुख म्युचुअल निधियों के निगामित यूनिट धारकों पर कर की दर बढ़ाकर 20 प्रतिशत की जाएगी जबकि व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार यूनिट धारकों के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- धारा 80झक के अन्तर्गत दूर संचार क्षेत्रक को मिलने वाले लाभों को 31 मार्च, 2004 से पहले प्रारंभ की गई सेवाओं के सम्बन्ध में लागू करना- अन्तिम तिथि को 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाया जाएगा।
- वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास में रत और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2004 से पहले अनुमोदित कम्पनियां 10 वर्ष की अवधि हेतु शतप्रतिशत लाभ की छूट की हकदार-अन्तिम तारीख को 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाया जाएगा।
- जम्मू तथा कश्मीर में नए औद्योगिक उपक्रमों को 100 प्रतिशत की कर छूट यदि उन्होंने 31 मार्च, 2004 से पहले उत्पादन प्रारम्भ कर दिया हो- तारीख 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाई जाएगी।

अप्रत्यक्ष कर

- शुल्क ढांचे को आसियान देशों के अनुरूप लाने का इरादा ।
- अन्ततः खाद्य और सेवाओं के लिए कर की एक समान दर होनी चाहिए।
- कुछ आयातित वस्तुओं, जिनके मामले में भारत में निर्मित वस्तुओं पर उत्पादशुल्क की समनुरूप छूट लागू नहीं है, को दी जा रही सीवीडी छूट को समाप्त कर दिया जाएगा।
- अमिश्र इस्पात पर सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा तथा इस्पात पर उत्पाद-शुल्क को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जाएगा ताकि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आयातों के सम्बन्ध में भी लागू हो।
- मिश्र इस्पात, तांबा,शीशा,जस्ता,तथा मूल धातु पर अधिकतम दर को 15 प्रतिशत तक घटाया जाएगा; गलनरोधी कच्चा खनिज तथा ग्रेफाइट, एस्बेस्टॉस, अभ्रक तथा जिप्सम जैसे खनिज उत्पादों पर सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत तक घटाया जाएगा; सभी उत्प्रेरकों पर सीमाशुल्क 15 प्रतिशत होगा।
- जबकि कच्चे पॉम आयल पर सीमाशुल्क 65 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है, परिष्कृत पॉम आयल पर शुल्क को 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा।

website: http://indiabudget.nic.in

- बागान मशीनरी की कुछ मदों पर सीमाशुल्क को 5 प्रतिशत तक चाय और कॉफी बागान क्षेत्र से संबंधित कुछ और मदों में बढ़ाया जाएगा।

- ट्रैक्टर डेयरी, मशीनरी तथा फावड़ा, बेलचा, दरांती आदि जैसे हाथ के औजारों, जिन पर 16 प्रतिशत उत्पादशुल्क लगता है, पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।

- मांस, मुर्गीपालन तथा मत्स्य व्यंजनों पर उत्पादशुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत और खाद्य श्रेणी के हेक्सेन(खाद्य तेल उद्योग में प्रयुक्त) पर 32 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत किया जाएगा।

- कतिपय पुनर्वास सहायता सामग्रियों को सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क और सीवीडी से पूर्ण छूट दी जाएगीः विकलांगों के लिए बैसाखियों , व्हील चेयर्स, वाकिंग फ्रेम्स, कृत्रिम अंग आदि को सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी; दृष्टिहीनों एवं बधिरों के लिए संस्थाओं पर आयात शुल्क छूट लेने पर प्रतिबंधों को हटाया जाना और छूट प्राप्त उपकरणों की सूची का बढ़ाया जाएगा; इस तरह पंजीकृत सभी एंबुलेंसों को 16 प्रतिशत की रियायती उत्पादशुल्क की अनुमति दी जाएगी; सभी तरह के हेपेटाइटिस का पता लगाने वाले नैदानिक किटों तक उत्पादशुल्क छूट का विस्तार किया जाएगा ।

- कांटेक्ट लेंस और ताशों पर उत्पादशुल्क लगाना; कुछ मदों पर उत्पादशुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करना; इन सभी मामलों में सामान्य लघु क्षेत्र छूट मिलती रहेगी।

- यंत्रीकृत/अर्ध-यंत्रीकृत क्षेत्रक में बनाई गई माचिसों पर उत्पादशुल्क सेनवेट क्रेडिट के बिना 8 प्रतिशत से बढ़ाकर सेनवेट क्रेडिट सहित 16 प्रतिशत करना।

- कैथोड रे ट्यूबों के हिस्सों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्चे माल तथा मोबाइल हैंडसेटों के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं, प्लाज्मा डिस्पले पैनल आदि को उत्पादशुल्क से मुक्त रखा जाना; टेलीकाम श्रेणी के आप्टीकल फाइबर तथा केबल के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट मदों को सीमाशुल्क से छूट दिया जाना; सार्वभौम पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा आयातों पर सीमाशुल्क छूट का विस्तार करना।

- कम्प्यूटरों पर उत्पादशुल्क से पूर्ण छूट देना; 2000 रुपए तक एमआरपी वाले एलपीजी गैस स्टोवों. 250 रुपए तक के एमआरपी के फुटवीयर और 200 रुपए तक के एमआरपी की लेखन सामग्रियों को कुछ उत्पादशुल्क राहत दी जाएगी।

- पूंजीगत वस्तुओं पर 5 प्रतिशत के रियायती सीमाशुल्क का विस्तार गैर-चर्म फुटवीयर उद्योग तक करना; पेटेंट चर्म को सीमाशुल्क से छूट देना।

- प्लैटेनिम पर आयात शुल्क को 550 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटाकर 200 रुपए किया जाएगा; खुदरे रंगीन बहुमूल्य रत्नों को सीमाशुल्क में छूट दी जाएगी।

website: http://indiabudget.nic.in

- पूर्वोत्तर के राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त राज्यों द्वारा ली जा रही क्षेत्र विशिष्ट छूटें जारी रखना और ये 31 मार्च, 2007 को या उससे पहले स्थापित अथवा विस्तारित इकाइयों को उपलब्ध होंगी।

- वस्त्रों के लिए नई कर व्यवस्था; अनिवार्य सेनवेट श्रृंखला समाप्त करना; शुद्ध सूत, ऊन व रेशम, चाहे यह फाइबर, यार्न, फैब्रिक अथवा गारमेंट हो, पर कोई अनिवार्य उत्पादशुल्क नहीं; सम्मिश्रित कपड़े और शुद्ध सूत भिन्न (पालिएस्टर, विस्कोस,एक्रिलिक और नाईलोन) की अलग कर व्यवस्था; मानव निर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पादशुल्क 16 प्रतिशत; पालिएस्टर फिलामेंट यार्न (टेक्सचर्ड यार्न सहित) पर 24 प्रतिशत और अन्य मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न टेक्सचर्ड यार्न सहित) पर 16 प्रतिशत।

- ***सेवा करः*** सेवा कर और उत्पाद शुल्क के क्रेडिट का सभी वस्तुओं व सेवाओं के लिए विस्तार करना; सेवा कर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना; कुछ और सेवाओं को जोड़ना; स्वमूल्यांकन का अनिवार्य सत्यापन तथा पंजीकरण न करवाने के लिए अनिवार्य शास्ति समाप्त करना।

- आयकर, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा शुल्क पर 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर लगाया जाएगा ।

- प्रत्यक्ष करों के इन प्रस्तावों से 2000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। अप्रत्यक्ष कर के लिए ये मोटे तौर पर राजस्व निष्प्रभावी हैं।

टिप्पणी